

216/19

No Instruction

Am
M.V.
12-6-19

वकुला हे फरीकेन उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण ने
 निवेदन किया कि वादीगण की भूमि हे विदायत
 पेशी नही है। इस पर अधिवक्ता उरिवाही ने कोई
 एतराज नही किया। वादीगण के आज अदालत उहे
 लव बार बार कावाजे लगवाई गई। फरुद वादीगण
 की भूमि हे कोई अदालत उपस्थित नही जल्प कर।
 प्रकारण कइस पेशी कइस एजिये के लारीज किया
 जाता है। मिसल फेसल शुमार होकर नअवर हे कअर
 वाफ वफर वगैरह से।

डाइरेश कान सुले-मापालक के पुनाया गया।



(मोहनलाल खटनावलिया)
 उपखण्ड अधिकारी
 मसूजा (अजमेर) राज.

